बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालयः वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ

अति–अल्पकालीन निविदा सूचना सं०–16/2025–26

1.	विभाग का नाम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2.	विज्ञापन दाता का नाम पता	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ
3.	परिमाण बिक्री के आरंभ की तिथि	11.03.2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से
4.	परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 17.03.2026 को अपराह्न 5.00 बजे तक कार्य अवधि में।
5.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	18.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
6.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	18.03.2026 को पूर्वाह्न 12.00 बजे

नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के बिहारशरीफ वन प्रक्षेत्र अंतर्गत संचालित सुभाष पार्क में पर्यटकों की सुविधा हेतु पार्क परिसर में अवस्थित कैफेटेरिया के सभी चारो आउटलेट संचालन हेतु दिनांक **11.03.2026** से निविदा आमंत्रित की जाती है :

क्र० सं०	निविदा का विवरण	अग्रधन की राषि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	बिहारशरीफ वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत संचालित सुभाष पार्क में कैफेटेरिया किचेन संख्या–1 से 04	रु. 1,50,000/–	रु. 2000/–

पार्कों में पर्यटकों के जलपान हेतु खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने के लिये पार्कों परिसर में बने कैफेटेरिया (Cafeteria) संचालन हेतु कार्य में अनुभवी फार्मों/रेस्तरॉ Kiosk संचालकों से सील बन्द निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक–18.03.2026 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदाओं के लिये दिनांक–17.03.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में रु० 2000/–(दो हजार रूपये) मात्र का भुगतान कर विहित प्रपत्र (निविदा फार्म) प्राप्त किये जा सकते हैं या बेबसाईट *https://state.bihar.gov.in/forest/CitizenHome.html* से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर समर्पित करने की स्थिति में प्रपत्र मूल्य के रुप में रूपये 2000/– (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे। निविदा के साथ अग्रधन के रूप में कैफेटेरिया संचालन हेतु रु. 1,50,000/– का बैंक ड्राफ्ट, जो Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif /वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदनाम से बिहारशरीफ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। कैफेटेरिया के लिये तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में समर्पित करना होगा।

अधिक जानकारी प्राप्त करने या निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यालय से अथवा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाईट *https://state.bihar.gov.in/forest/CitizenHome.html* या *https://state.bihar.gov.in/prdbihar/CitizenHome.html* पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहार शरीफ

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालयः वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०–16/2025–26

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ अन्तर्गत संचालित विभिन्न पार्कों में अवस्थित कैफेटेरिया संचालन हेतु निविदा की शर्तें :–

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ अतंर्गत संचालित विभिन्न पार्कों में पर्यटकों के जलपान हेतु खादय सामग्रियों की बिक्री करने के लिये कैफेटेरिया (जो जहाँ है, जिस रूप में है) के संचालन हेतु इस कार्य में अनुभवी फर्मों/रेस्तराँ/ Kiosk संचालकों से सीलबंद निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक–18.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाईट *https://state.bihar.gov.in/forest/CitizenHome.html* या *https://state.bihar.gov.in/prdbihar/CitizenHome.html* से डाउनलोड की जा सकती है। ये तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें दिनांक–18.03.2026 को पूर्वाह्न 12.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सभी निविदाओं को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।

1. सुभाष पार्क सुभाष पार्क में बनाये गये कैफेटेरिया के कुल 4 किचन (1,2,3 एवं 4) के संचालन हेतु निविदा समर्पित की जायेगी। निविदाकर्त्ता 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' दो अलग–अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी निविदा के लिफाफे पर "तकनीकी निविदा" तथा उस पर अपना नाम–पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 16/2025–26 अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय निविदा' के लिफाफे पर "वित्तीय निविदा" लिखकर अपना नाम–पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 16/2025–26 अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के दोनों सील बंद लिफाफे रहेंगे पर "कैफेटेरिया" संचालन के लिए निविदा" एवं निविदा का विज्ञापन संख्या अंकित कर अपना नाम–पता अंकित करेंगे। तकनीकी निविदा में तकनीकी निविदा फार्म, निविदा शर्तों के अनुपालन हेतु वांछित स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज, निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद/निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर समर्पित करने की स्थिति में प्रपत्र मूल्य के रुप में रूपये 2000/– (दो हजार) का डिमांड ड्राफट तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे तथा अपना नाम एवं पता अंकित किया जाएगा।
2. निविदा के साथ **अग्रधन** के रूप में कैफेटेरिया संचालन हेतु रू0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो (Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif)/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पदनाम से बिहारशरीफ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रधन के प्राप्त होने वाले तकनीकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
3. विलम्ब से या अन्य माध्यम से अथवा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाता सरकारी कार्यालय/सरकारी उपक्रम/सरकारी निगम/सरकार के पार्क अंतर्गत होटल/रेस्टोरेन्ट में रेस्टोरेन्ट या कैफेटेरिया चलाने का कम–से–कम विगत एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए इसके लिए संबंधित कार्यालय/प्रतिष्ठान से संतोषप्रद रेस्टोरेन्ट/कैफेटेरिया चलाने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
5. आयकरदाता होने का प्रमाण–पत्र (पैन कार्ड) एवं विगत तीन वर्षो यथा (Assesment Year 2023–24, 2024–25 एवं 2025–2026) का वार्षिक रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ

6. निविदादाता को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए। निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन एक तिमाही (तीन माह) की अद्यतन रिटर्न की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
7. निविदाकर्त्ता को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता का वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम रू. 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) होना चाहिए। निविदादाता को विगत वर्ष 2024–25 के वार्षिक टर्न–ओवर का सत्यापित अभिलेख तकनीकी निविदा के प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
9. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन कैफेटेरिया के लिए निविदादाताओं द्वारा अर्पित दर, प्रतिमाह किराया दर में, अधिकतम अर्पित दर के आधार पर तय किया जाएगा।
10. सफल निविदादाता को **रू० 1000/–(एक हजार रूपये मात्र)** मूल्य के नन्–जुडिसियल (Non-Judicial) स्टाम्प जमा कर एकरारनामा करना होगा जिसमें कैफेटेरिया संचालन की सभी शर्त्तों का उल्लेख होगा।
11. निविदा पर निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् सफल निविदादाता द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य सामाग्रियों की विवरणी के साथ दर को वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। सामाग्रियों के दर पर अनुमति के उपरांत सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि से शीघ्र कैफेटेरिया का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा कैफेटेरिया के संचालन प्रारंभ करने में बिना किसी कारण विलंब करने पर प्रतिभूति राशि जप्त कर निविदाकर्त्ता को कालीसूची में डाल दिया जायेगा और द्वितीय निविदाकर्त्ता से Cafeteria संचालन कराने की कार्रवाई की जायेगी।
12. प्रतिभूति जमा राशि :– सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के रूप में 3 (तीन) माह का अग्रिम किराया किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डीसीआर/एफ.डी.आर/बैंक गारण्टी को प्रतिभूति राशि के रूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ के पदनाम से Pledged कराकर जमा करना होगा। यदि सफल निविदादाता शर्तों के अनुकूल सफलतापूर्वक एकरारनामा की अवधि तक कार्य करते हैं तो उन्हें एकरारनामा अवधि समाप्त होने पर जमा प्रतिभूति राशि वापस कर दिया जायेगा। यदि एकरारनामा अवधि में शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो जमा प्रतिभूति राशि को राज्यसात कर लिया जाएगा।
13. सफल निविदाकर्त्ता को प्रत्येक माह के **5 (पाँच) वीं तारीख तक अग्रिम मासिक किराया** जमा करना होगा। 5 वीं (पाँच) तारीख तक निर्धारित मासिक किराया जमा न करने की स्थिति में मासिक किराया का 3% (तीन प्रतिशत) वृद्धयात्मक शुल्क जोड़कर भुगतान करना होगा। लगातार तीन माह तक किराया (3% वृद्धायात्मक शुल्क सहित) जमा न करने पर जमानत की प्रतिभूति राशि राज्यसात करते हुये निविदा रद्द कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा, साथ ही साथ कैफेटेरिया में रखे सारे सामानों को जप्त कर लिया जोयगा। शेष राशि की वसूली के लिए उनपर विधिवत् कार्रवाई की जायेगी। किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ को होगा।
14. सफल निविदादाता को एक वर्ष के लिए कैफेटेरिया संचालन हेतु आवंटित की जायेगी। तदोपरांत उनका कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में अगले दो वर्षों के लिए निविदादाताओं द्वारा अर्पित अधिकतम दर प्रतिमाह किराया के 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ (प्रत्येक वर्ष) अवधि विस्तार किये जाने पर विचार किया जायेगा।
15. निविदादाता द्वारा कैफेटेरिया संचालन कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति/पर्यटकों द्वारा खाद्य सामग्रियों के क्रम में शिकायत प्राप्त होने पर समय अवधि के बीच में हीं उनके निविदा को निरस्त करने का अधिकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा को सुरक्षित होगी।
16. विद्युत बिल का भुगतान–सफल निविदाकर्त्ता को किराया के साथ–साथ विद्युत उपयोग का भुगतान भी अलग से देना होगा। विद्युत बिल का भुगतान मीटर रिंडिंग के अनुसार व्यवसायिक दर पर होगा।
17. सामग्रियों की बिक्री सुभाष पार्क क्षेत्र तक सीमित रहेगी। बिक्री का समय सुभाष पार्क के खुलने और बंद होने के बीच रहेगा। सुभाष पार्क को बन्द होने के बाद एवं सप्ताहिक बन्दी के दिन किसी प्रकार की सामग्री की बिक्री नहीं की जाएगी। अगर सुभाष पार्क को अन्य दिन भी बन्द रखा जाता है, तो उस दिन भी कैफेटेरिया को बन्द रखना होगा और इसके लिए नालन्दा वन प्रमण्डल द्वारा किसी प्रकार की छुट

नहीं दी जाएगी। सफलतम निविदादाता को कैफेटेरिया संचालन हेतु खाद्य सामग्री सुभाष पार्क में ले जाने के लिए पर्यटकों की सुविधा के अनुसार एक निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा, उसी समय में सामग्री कैफेटेरिया में लाया जा सकता है।

18. **निविदा रद्दीकरण** :– सफल निविदादाता द्वारा एकरारनामा की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में कैफेटेरिया संचालन एवं खाद्य समाग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी या दर्शकों से अधिक मूल्य की वसूली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत अथवा कैफेटेरिया संचालन से सुभाष पार्क पर प्रतिकुल प्रभाव की सम्भावना होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ किसी भी समय नोटिस देकर निविदा रद्द करने की कार्रवाई कर सकते हैं। निविदा रद्द होने की स्थिति में सफल निविदादाता को किसी प्रकार का क्षतिपूरक राशि सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी।
19. कैफेटेरिया में किसी प्रकार का **मांसाहारी** खाद्य पदार्थ एवं **नशीला पदार्थ** की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कैफेटेरिया संचालक द्वारा किसी प्रकार का निषिद्ध पेय एवं खाद्य पदार्थ को न तो रखा जायेगा और न हीं बेचा जायेगा। बेचे जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ को सूची से हटाने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ को होगा।
20. सुभाष पार्क/खाद्य सामाग्रियों से संबंधित समय–समय पर निर्गत सरकारी आदेशों का अनुपालन निविदादाता के लिए अनिवार्य होगा।
21. कैफेटेरिया के आस–पास की जगह को हमेशा साफ–सुथरा रखना होगा। कैफेटेरिया संचालक को बचा हुआ एवं अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ का निपटारा करना होगा। अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ को किसी भी परिस्थिति में सुभाष पार्क के अन्दर निपटारा नहीं किया जायेगा।
22. सुभाष पार्क में अवस्थित कैफेटेरिया में खाद्य सामग्रियों को बनाने में एलपीजी गैस स्टोव का उपयोग किया जायेगा। लकड़ी आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा। किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ से अनुमति आवश्यक होगा।
23. कैफेटेरिया संचालक द्वारा बेचे जाने वाले सभी सीलबन्द सामग्रियों को निर्धारित एम.आर.पी. पर ही बेचना होगा। सामग्रियों को तैयार करने में गैस स्टोव/अन्य प्रदुषन मुक्त Improvised स्टोव का उपयोग वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ के अनुमति से किया जा सकेगा।
24. सुभाष पार्क शांत क्षेत्र है। इसलिए कैफेटेरिया में किसी प्रकार का शोर–शराबा, हल्ला गुल्ला एवं संगीत प्रतिबंधित रहेगा। सुभाष पार्क में धुम्रपान, प्लास्टिक वर्जित क्षेत्र है। अतएव सुभाष पार्क में धुम्रपान एवं प्लास्टिक बैग का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
25. संचालक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन एवं लापरवाही बरतने पर प्रत्येक उल्लंघन/लापरवाही पर **दस हजार रूपये का अर्थदण्ड** लगाने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी को होगा।
26. सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित घोषणा–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. कैफेटेरिया में अन्य किसी प्रकार की सुविधा वन प्रमंडल पदाधिकारी के अनुमति से ही उपलब्ध करायी जा सकेगी।
28. किसी भी निविदा को, किसी भी समय स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल बिहारशरीफ को सुरक्षित रहेगा।
29. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेगें कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़ावाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए सभी पृष्ठों पर अपना हस्ताक्षर करेंगें।
30. सरकार के निर्देश के अनुसार निविदा में भाग लेने हेतु आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।
31. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र बिहारशरीफ होगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालयः वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।
निविदा सूचना सं०–16/2025–26

तकनीकी निविदा

1 निविदादाता /फर्मों / रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं0 के साथ) :
....
....

2 निविदादाता /फर्मों / रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथः
....

क्र	तकनीकी सूचना	निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र क्रय के मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति या मूल्य–रसीद संलग्न करेंगे।		
2	यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पदनाम में रू० 2000/–(दो हजार रूपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।		
3	Divisional Forest Officer, Nalanda Forest Division, Biharsharif/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पदनाम सें रू० 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) के अग्रधन राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।		
4	FSSAI से निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
5	G.S.T से निबंधन एवं अद्यतन एक तिमाही (तीन माह) का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
6	पैन/टैन के निबंधन एवं विगत तीन वर्षों का (Assesment Year, 2023–24 2024–2025 एवं 2025–26) आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
7	वार्षिक टर्न ओवर विगत एक साल (रु0 50,00,000/– (पचास लाख) से अधिक प्रतिवर्ष) टर्न ओवरः–निविदा शर्त्त–8 के अनुसार		
8	सरकारी कार्यालय/सरकारी उपक्रम/सरकारी निगम/सरकार के पार्क अंतर्गत होटल/रेस्टोरेन्ट में विगत एक वर्ष का कार्यानुभव निविदा शर्त्त–4 के अनुसार		
9	पहचान–पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
10	फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र की मूलप्रति।		
11	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्त्ता का नाम दर्ज होने/नहीं होने से संबंधित घोषणा–पत्र।		
12	आवेदक का चरित्र प्रमाण–पत्र (सरकार के निदेशानुसार)		
13	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये हस्ताक्षर का नमूना संलग्न		

स्थान : ....
दिनांकः ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

पूरा नाम –
पता–
मोबाईल नं०:–
ई–मेल :–

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालयः वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०–16/2025–26

वित्तीय निविदा फार्म

1 निविदादाता /फर्मों / रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं0 के साथ)

....

....

2 निविदादाता /फर्मों / रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथः

....

....

3 कैफिटेरिया उपयोग हेतु मासिक किराया दर –

क्र० सं०	कैफेटेरिया (Cafeteria) का नाम	अर्पित किराया दर (प्रतिमाह)	अर्पित किराया दर प्रतिमाह (शब्दों में)
1	बिहारशरीफ वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत संचालित सुभाष पार्क में कैफेटेरिया (किचेन संख्या–1 से 04)		

नोटः– 1. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन **कैफेटेरिया (Cafeteria)** के लिए अर्पित दर में जो भी अधिकतम होगा के आधार पर तय किया जाएगा।

2. चयनित निविदादाता के द्वारा एक एकरारनामा हस्ताक्षरित करना होगा और उसमें दी गयी शर्त्तों का पालन करना होगा।

स्थान : ....

दिनांकः ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

पूरा नाम –

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०–16/2025–26

घोषणा–पत्र

मैं.. पिता का नाम...ग्राम.....

..............................पो०.. थाना..जिला...............

.... घोषणा करता हूँ कि मैंने ....

(विभाग/कार्यालय का नाम) में .... से ....

अवधि तक के लिए कैफेटेरिया संचालन कार्य किया है/था तथा उस विभाग/कार्यालय अथवा किसी भी कार्य के लिए किसी सरकारी विभाग/कार्यालय द्वारा मुझे कृष्णचिन्हित (Black Listed) किया/नही किया गया है।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम –

तिथि......................

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ
अरण्य विहार, सिपाह, (पटना–राँची रोड वाईपास) थाना–दीपनगर, बिहारशरीफ–803216

पत्रांक ..../ दिनांक ..../........./2026

प्रेषक,

राजकुमार एम०, भा०व०से०,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के बिहारशरीफ वन प्रक्षेत्र अंतर्गत संचालित सुभाष पार्क परिसर में अवस्थित कैफेटेरिया संचालन हेतु अति–अल्पकालीन निविदा सं० 16/2025–26 की सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के बिहारशरीफ वन प्रक्षेत्र अंतर्गत संचालित सुभाष पार्क परिसर में अवस्थित कैफेटेरिया के सभी चारो आउटलेट संचालन हेतु अति–अल्पकालीन निविदा (निविदा संख्या 16/2025–26) आमंत्रित की गयी है। उक्त निविदा की सूचना की एक प्रति इस पत्र के साथ (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त सूचना प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

ज्ञापांक ....821...../ दिनांक ....9..../..3..../2026

प्रतिलिपि : सरकार के उप सचिव, बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना–15 को सूचना प्रकाशन सामग्री की सॉफ्ट एवं हार्ड प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना की सेवा में अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक : यथोक्त।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।
09-03-26

Email ID: dfonalandafdivision@gmail.com Mob: 9113418698, Tel: 06112-29712 Website: https:// https://rajgirsafari.bihar.gov.in